ऑन लाईन नं.RCMS2023/101

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 46/2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री रामकुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद —खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक — **मै0** झाझड़ा वैरायटी स्टोर, कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52

निर्णय दिनांक : 29.09.2009

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः—एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः— आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.02.2023 को दोपहर बाद 4.20 पी.एम. को **मै0** झाझड़ा वैरायटी स्टोर, कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विकेता एवं मालिक **रामकुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद** को अपना परिचय देकर दुकान मे रखी **चाय (महाराजा ब्राण्ड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विकेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान में रखे पोली पेक के 20 पैकेटो **चाय (महाराजा ब्राण्ड)** को आमजन के विकय वास्ते होना बताया। **चाय (महाराजा ब्राण्ड)** में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जांच वास्ते **चाय (महाराजा ब्राण्ड)** का नमुना लेने की इच्छा विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विकेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

अति जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

P3/3

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./97/Act/2023/97 Dated 13-02-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1636 Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **रामकुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मै0** झाझड़ा वैरायटी स्टोर, गांव कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **चाय (महाराजा ब्राण्ड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 04.05.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:– प्रार्थी गांव कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स झाझड़ा वैरायटी स्टोर, गांव कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 23/1058 दिनांक 04.07.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में **चाय (महाराजा ब्राण्ड)** की जांच की गई तो **चाय (महाराजा ब्राण्ड) Misbranded Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **चाय (महाराजा ब्राण्ड)** में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **चाय (महाराजा ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-1636** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./97/Act/2023/97 Dated 13-02-2023 द्वारा **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 23/1058 दिनांक 04.07.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में **चाय (महाराजा ब्राण्ड)** की जांच की गई तो **चाय (महाराजा ब्राण्ड) Misbranded Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **चाय (महाराजा ब्राण्ड)** में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Ab/4

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Tea (Majaraka Brand) " bearing Code No and Sr. No. K-1636, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded food under section No.3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards Act-2006. की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **रामकुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **रामकुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद** को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000--00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **रामकुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थो से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय अति.जिला कलक्टर(प्रशासन)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।